न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, छोटीसादड़ी, जिला–प्रतापगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–विनोद कुमार मल्होत्रा (R.A.S.)

प्रकरण संख्याः–17 / 2018

1. श्रीमती हुलासीबाई पत्नी श्रीलाल जाति आंजना निवासी खेड़ा केसुन्दा तहसील छोटीसादड़ी जिला–प्रतापगढ़ राज0

–– प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार, जरिये भूमिधारी तहसीलदार, छोटीसादडी जिला प्रतापगढ राजस्थान

–– अप्रार्थी

प्रार्थना प्रत्र अन्तर्गत 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः– श्री अंकित पालीवाल – अभिभाषक प्रार्थीया

निर्णय दिनांक 02.08.2021

1. प्रार्थीया ने प्रार्थना प्रत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 में पेश किया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा खेड़ा केसुन्दा पटवार हल्का केसुन्दा की आराजी संख्या 563 / 893 रकबा 0.50 हैक्ट0 उक्त आराजी प्रार्थीया ने क्रय की थी क्रय के बाद नामान्तकरण के दौरान राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीया के पति के बजाए पिता का नाम दर्ज कर दिया है जबकि प्रार्थीया लम्बे समय से पति के साथ ही निवास कर रही है तथा प्रार्थीया का पीहर एवं ससुराल खेड़ा केसुन्दा में ही है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीया का नाम राजस्व रेकार्ड में हुलासी बाई पुत्री नानुराम आंजना के बजाए हुलासी बाई पत्नी श्रीलाल दर्ज करने का आदेश प्रदान किया जावें।
2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार छोटीसादड़ी से जवाब एवं पटवार रिपोर्ट तलब कि गई जिसमें पटवार हल्का केसुन्दा ने बताया कि हुलासी बाई पुत्री नानुराम व हुलासी बाई पत्नी श्रीलाल एक ही महिला के नाम है तथा मौके पर भी हुलासी बाई पत्नी श्रीलाल आंजना काजिब काश्त है। संलग्न दस्तावेज यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड का अवलोकन किया गया जिसमें भी प्रार्थीया का नाम हुलासी बाई पत्नी श्रीलाल आंजना दर्ज है। संलग्न जमाबन्दी का अवलोकन किया गया जिसमें प्रार्थीया का नाम हुलासी बाई पुत्री नानुराम आंजना दर्ज रेकार्ड है पटवार हल्का रिपोर्ट का अवलोकन करने पर भी जाहिए होता है कि हुलासी बाई पत्नी श्रीलाल आंजना एवं

हुलासी बाई पुत्री नानुराम आंजना एक ही महिला के नाम है अतः उक्त शुद्धि को किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

3. फलत प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा खेड़ा केसुन्दा पटवार हल्का केसुन्दा की आराजी संख्या 563/893 रकबा 0.50 हैक्ट0 पर प्रार्थीया का नाम हुलासी बाई पुत्री नानुराम आंजना के बजाए हुलासी बाई पत्नी श्रीलाल आंजना दर्ज किया जावें। तहसीलदार छोटीसादडी को आदेशित किया जाता है कि राजस्व रेकार्ड में नाम दुरस्तीकरण कर पालना रिपोर्ट पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 02.08.2021 को सरे इजलास सुनाया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(विनोद कुमार मल्होत्रा)
उपखण्ड अधिकारी
छोटीसादडी, जिला – प्रतापगढ़

उपखण्ड अधिकारी छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़